Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 15-12-2005
Participants : Varma Shri Ratilal Kalidas,Handique Shri Bijoy Krishna

>

Title: Need for early release of fishermen and their boats held captive by Pakistan.

SHRI RATILAL KALIDAS VARMA (DHANDHUKA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am raising here a very important issue regarding fishermen of Gujarat who are now languishing in Pakistan jails[k86].

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात कि पास बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है और वहां के मछुआरे लोग समुद्र में जाते हैं। समुद्र में थोड़ा सा आगे जाते ही पाकस्तानी कोस्ट्ल गाड्र्स उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उनकी आधी-आधी जिन्दगी पाकिस्तानी जेलों में ही बीत जाती है। आपको जानकारी देने के लिए मैं सरकारी आंकड़े देते हुए बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर, 2003 से लेकर 13 फरवरी, 2005 तक 1142 मछुआरों को पाकिस्तानी कोस्ट्ल गार्डस पकड़कर ले गए और आज भी उनको पकड़ना चालू है। 10 सितम्बर, 2005 से लेकर 3 नवम्बर, 2005 तक मछुआरों की 35 बोट्स पाकस्तान की मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा पकड़ी गयी हैं और इन बोट्स के साथ पकड़े गए 210 मछुआरे भी उनकी जेलों में बन्द हैं। बार-बार बात करने पर उनको कभी-कभी छोड़ा जाता है। अभी भी बहुत से मछुआरे नहीं छूट सके हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन सही निर्णय नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों देशों के मछुआरों से, पकड़े जाने पर पूछताछ की जानी चाहिए और निर्दोा पाए जाने पर उन्हें वहीं से छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें जेलों में ले जाने के बाद छोड़ा जाता है तो उनका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। उनके परिवार में कमाने वाला एक आदमी होता है और खाने वाले दस आदमी होते हैं, साथ ही उनकी बोट भी चली जाती है। इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि उनको सरकार द्वारा सहायता दी जाए और जीवन निर्वाह के लिए कुछ साधन उनको दिलाए जाएं। इसके साथ ही दोनों देशों की सरकारों द्वारा विचार करके उपयुक्त निर्णय लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जेलों से रिहा किया जाना चाहिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): I will bring this matter to the notice of the concerned Minister.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात नोट हो गयी है। अब आप बैठ जाइए।